



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान

National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan)

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

(Department of Empowerment of PwDs (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India)

बी.टी. रोडबनहृगली, कोलकाता-700090 / B.T. Road, Bon-Hooghly, Kolkata-700090

Phone: 2531-0279, 2531-0610/Tele Fax: 2531-8379/E-mail: mail@nioh.in/web: www.niohkol.nic.in



सं-NILD/125th Spl.EC/Dir/

दिनांक:10/10/2025

सेवा में,

श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव एवं अध्यक्ष, ई.सी. रागदिसं दि.सं.वि., भारत सरकार

सुश्री देवोलिना, संयुक्त सचिव एवं भारत सरकार की वित्तीय सलाहकार, एम.एस.जे. एंड ई.

डॉ मोहित तांतिया-सदस्य ई.सी. -रागदिसं

डॉ योगेश दुबे-सदस्य ई.सी. -रागदिसं

विषय:- रागदिसं, कोलकाता की 125वीं कार्यकारी समिति के निम्नलिखित एजेंडा पर विचार करने और उसे परिपत्र के माध्यम से अनुमोदित करने हेतु।

महोदय/महोदया,

विभाग के निदेशानुसार, आगामी शासी परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित एजेंडा मदों को तत्काल अनुमोदन की आवश्यकता है, जो 15 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। इन्हे ई.सी., रागदिसं सदस्यों के अनुमोदन हेतु परिपत्र के माध्यम से भेजा जा रहा है।

1. वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना ताकि इसे शाषि परिषद (जी.सी.) को प्रस्तुत किया जा सके। संस्थान ने वर्ष 2024 - 25 के लिये संस्थान के उद्देश्य के अनुसार विभिन्न गतिविधियों की स्थिति दर्शाते हुये वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है और इसे शाषि परिषद (जीसी) के अवलोकन और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है।(अनुलग्नक-I)
2. वर्ष 2024-25 के लिये संस्थान के वार्षिक खातों और लेखा परिक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और इसे शाषि परिषद में प्रस्तुत करना। वित्तीय वर्ष 2024 - 2025 के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षा कार्य सी. एन्ड जी. कोलकाता द्वारा दिनांक 30-07-2025 से 21-08-2025 की अवधि के दौरान किया गया है। अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।(अनुलग्नक-II)
3. वर्ष 2025-26 के लिये संशोधित अनुमान (आर.ई.) और वर्ष 2026 - 27 के लिये बजट अनुमान (बी.ई.) पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना, ताकि इसे शाषि परिषद में प्रस्तुत किया जा सके।
संस्थान के वर्ष 2025 - 26 के लिये संशोधित अनुमान (आरई) और वर्ष 2026-27 के लिये बजट अनुमान (बीई) अनुमानित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये और साथ ही ई.सी. द्वारा अनुमोदित और गवर्नमेंट काउंसिल में प्रस्तुत करने के लिये स्वीकृत औसत व्यय /बढ़ती गतिविधियों और नये कार्यक्रमों के आधार पर तैयार किया गया है।(अनुलग्नक -III)

अनुरोध है कि इस पर यथाशीघ्र हस्ताक्षर और अनुमोदन किया जाय। इसके प्राप्त होने पर, अंतिम अनुमोदन के लिये मामला संयुक्त सचिव एवं अध्यक्ष, ई.सी. -रागदिसं के समक्ष रखा जायेगा।

सधन्यवाद,

भवदीय

(डॉ. ललित नारायण)

निदेशक